


- : आदेश : -

वादी वा गौणप्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का वाद इस प्रकार प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है कि खेत खसरा नं. 69 तादादी 46 बीघा वाके रोही ग्राम लालगढ़ में सें 08 बीघा 11 बीश्वा भूमि में ब्रदीराम, जेठाराम, बृजलाल, हड़मान, फुली प्रत्येक का 1/5 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त 1/5 हिस्सा भूमि से ज्यादा हिस्सा भूमि से बेदखल कर वादी को उसका 1/5 हिस्सा भूमि पर कब्जा दिलवाते हुऐ प्रतिवादी संख्या 1 को अपनने हिस्से से ज्यादा भूमि से बेदखल किया जावे। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व गौणप्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का विधिवत विभाजन कर वादी व गौण प्रतिवादी का हक हिस्सा अलग कर खाता व लगान कायम किया जावें तथा उक्त वादी व गौणप्रतिवादी संख्या 1 ता 3 खातेदारान का अलग रास्ता कायम किया जावे। कब्जा काशत के आधार पर निहित किया जाता है। मुकदमा खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें। विभाजन प्रस्ताव प्रतिवादी संख्या 02 बीदासर तहसीलदार बीदासर के नाम आदेश जारी हो तथा विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु अलग से लिखा जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.03.18 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरु)
बीदासर